वित्तीय वर्ष 2020–21 में ओ लेवल एवं सी0सी0सी0 कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजनान्तर्गत आवेदन करने वाली संस्थाओं हेतु दिशा–निर्देश।

"ओ" लेवल एवं सी0सी0सी0 कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना के आवेदन प्रक्रिया के लिए सर्वप्रथम शिक्षण संस्थाओं द्वारा दिशा–निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया जाए। आनलाइन आवेदन में समस्त प्रविष्टियां अंग्रेजी में भरी जायेगी। आनलाइन फार्म भरने की प्रक्रिया निम्नवत् है:–

स्टेप–1	सामान्य निर्देश, तकनीकी निर्देश, शासनादेश, आवेदन/रजिस्ट्रेश प्रपत्र को डाउनलोड करते हुए अंकित किये जाने वाली सूचनाओं का भली– भॉति अध्ययन किया जाना।
स्टेप–2	आनलाइन रजिस्ट्रेशन करने हेतु विभागीय बेबसाइट http: // backwardwelfareup.gov.in एवं http://obccomputertraining.upsdc.gov.in पर दिये गये लिंक पर क्लिक करने के उपरान्त दिये हुए विकल्प का चयन करते हुए इंस्टीट्यूट के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण किया जाना, जो संस्थाएं वर्ष 2019–2020 में विभाग द्वारा कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना हेतु चयनित हुई थी उन संस्थाओं द्वारा वर्ष 2020–2021 के चयन हेतु नवीनीकरण का विकल्प चुनते हुए आनलाइन आवेदन प्रपत्र भरा जायेगा तथा अन्य आवेदन करने वाली संस्थाओं द्वारा 'ओ' लेवल/सी0सी0सी कम्प्यूटर प्रशिक्षण के चयन हेतु आनलाइन आवेदन में दिये गये विकल्प में से नवीन आवेदन पत्र का चयन करते हुए आनलाइन आवेदन करेंगी। सर्वप्रथम आवेदन के पूर्व रजिस्टर इंस्टीट्यूट (Register Institute) की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए आवेदक को स्वयं रजिस्टर करना होगा।
स्टेप–3	रजिस्टर करने के उपरान्त आवेदक को अपनी बेसिक डिटेल भरनी होगी तत्पश्चात् संस्था द्वारा अंकित किये गये मोबाइल पर ओ0टी0पी प्राप्त होगा।
स्टेप–4	रजिस्ट्रेश उपरान्त प्राप्त रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं पासवर्ड भरा जायेगा, जिसके उपरान्त संस्था को नवीन/नवीनीकरण आवेदन का विकल्प उपलब्ध होगा।
स्टेप–5	संस्था द्वारा आनलाइन रजिस्ट्रेशन/आवेदन भरते समय समस्त प्रविष्टियों को सही अंकित करना होगा तथा वांछित अभिलेखों को अपलोड करना होगा
स्टेप–6	जिन सूचनाओं के आगे स्टार (*) बना है उनको भरा जाना अनिवार्य है। इसके बिना आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा। आनलाइन आवेदन में भरी गयी समस्त प्रविष्टियों को सत्यापित करने की घोषण हेतु नीचे दिये गये बाक्स पर क्लिक (Click) करें।
स्टेप–7	आवेदन प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए आवेदन का प्रिन्टआउट लिया जायेगा और समस्त संबंधित अभिलेखों को संलग्न करते हुए उसकी हार्ड कॉपी निदेशालय, पिछड़ा वर्ग कल्याण, इन्दिरा भवन, लखनऊ/संबंधित जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय में आधारभूत ढांचे के विवरण संबंधी अभिलेख तथा विगत तीन वर्षों में सर्टीफिकेट तथा परीक्षाफल संलग्न करते हुए हार्ड कापी निर्धारित तिथि 26.06.2020 तक कार्यालय समय में जमा

(सुबोध कुमार मौर्य)
वरिष्ठ सहायक
पिछड़ा वर्ग कल्याण

(महेन्द्र प्रताप सिंह)
जि० पि० व० क० अधि०
(योजना प्रभारी)

(विकास शर्मा)
संयुक्त निदेशक,
पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय
उ०प्र० लखनऊ।

D:\e drive\letter.docx

	करने के उपरान्त आवेदन प्रक्रिया पूर्ण मानी जायेगी। निर्धारित अभिलेखों के साथ संस्था प्रमुख द्वारा रू0 10 के स्टाम्प पेपर पर यह घोषणा अंकित करनी होगी कि आनलाइन आवेदन में जो भी सूचनाएं संस्था द्वारा भरी गयी है अथवा जो भी प्रमाण संलग्न किये गये है। वे सही है तथा प्रशिक्षण के लिए पंजीकृत किये गये प्रशिक्षार्थियों को यदि संस्था द्वारा प्रशिक्षण पूर्ण नहीं कराया जाता है/अधूरा छोड़ दिया जाता है तो संबंधित कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना हेतु प्राप्त धनराशि विभाग को वापस कर दी जायेगी तथा विभाग संस्था/संस्था प्रमुख के विरूद्ध समुचित विधिक कार्यवाही के लिए स्वतन्त्र होगा।
स्टेप–8	संस्था द्वारा आनलाइन आवेदन अथवा हार्ड कापी के साथ संलग्न अभिलेखों में यदि कोई सूचना/तथ्य त्रुटिपूर्ण/गलत /फर्जी पाये जाते हैं तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित संस्था का होगा। आनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करते हुए संबंधित अभिलेखों की हार्डकापी/प्रमाणित प्रति निदेशालय, पिछड़ा वर्ग कल्याण, इन्दिरा भवन, लखनऊ/संबंधित जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय में निर्धारित तिथि के पूर्व जमा करने के उपरान्त ही आवेदन प्रक्रिया पूर्ण मानते हुए आवेदन पर विचार किया जायेगा। निदेशालय पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के पास ऐसे आवेदनों को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। निर्धारित तिथि के उपरान्त ऐसे आवेदनों पर पुनः विचार नहीं किया जायेगा।
स्टेप–9	कोई भी तकनीकी में व्यवधान उत्पन्न होती है तो उसके लिए कार्यालय दूरभाष–0522-2286101 एवं मेल आई0डी–dir.bcw95@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है।

(सुबोध कुमार मौर्य)
वरिष्ठ सहायक
पिछड़ा वर्ग कल्याण

(सत्येन्द्र प्रताप सिं...)
जि० पि० व० क० अधि...
(योजना प्रभारी)
19/06/20

(विकास शर्मा)
संयुक्त निदेशक,
पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय
उ०प्र० लखनऊ।